न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

सं0 : 83/18

1:–श्रीमती कृष्णा पिता कानाजी दरोगा निवासी फतेहपुर तह. बेगूं हाल. मु. पति जीतसिंहजी आर.के. कॉलोनी निम्बाहेडा

2:–श्रीमती सीतादेवी मृतक के बजायः–

2/1:– पुष्पा कंवर माता सीता बाई दरोगा निवासी रावडदा हाल मु. पति संदीपसिंह राठौड निवासी माण्डलगढ

2/2:– महेन्द्र सिंह माता सीता बाई दरोगा निवासी रावडदा तह. बेगूं

2/3:– आशा कंवर माता सीता बाई दारोगा निवासी रावडदा हा.मु. पति देवेन्द्र सिंह राणावत निवासी बिजोलिया हा.मु. निम्बाहेडा

.... वादीगण

– बनाम –

1:– श्री रमेश चन्द्र पिता कानाजी दरोगा नि. फतेहपुर हा.मु. ब्रहम मंदिर रोड पुष्कर, अजमेर

2:– दलपत सिंह उर्फ दिलीप सिंह नि. फतेहपुर हा.मु. पानी की टंकी के पास हाउसिंग बोर्ड निम्बाहेडा

3:–प्यारा पिता मोडाजी दरोगा नि. फतेहपुर तह. बेगूं

4:–भैरूलाल पिता गोपी दरोगा नि. फतेहपुर तह. बेगूं

5:–श्याणीबाई पुत्री गोपी दरोगा नि. फतेहपुर तह. बेगूं

6:–घीसीबाई पुत्री गोपी दरोगा नि. फतेहपुर तह. बेगूं

7:–नारायणी बाई पत्नी हेमाजी दरोगा नि. फतेहपुर तह. बेगूं

8:–रतनीबाई पुत्री हेमाजी दरोगा निवासी फतेहपुर तह. बेगूं

9:–शंकरलाल पिता मोहनजी दरोगा निवासी फतेहपुर तह. बेगूं

10:–बाबुलाल पिता मोहनजी दरोगा निवासी फतेहपुर तह. बेगूं

11:–सोहनलाल पिता मोहनजी दरोगा निवासी फतेहपुर तह. बेगूं

12:–श्रीमान् राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलेक्टर महोदय चित्तौडगढ राज.

13:–श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार सा. तहसील कार्यालय बेगूं

.......प्रतिवादीगण

उपस्थित :: सुरेश चन्द्र टेलर
अधिवक्ता वादीगण
उपस्थित
विजय भारद्वाज
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 30–1–2023

निर्णय वाद अ0धा0 88–53–188 राज0का0अधि0

यह दावा इस न्यायालय में वकिल श्री सुरेशचन्द्र टेलर द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 तक की पैतृक कृषि भूमि ग्राम फतेहपुर प.ह. केरपुरा तह. बेगूं में स्थित है। जमाबन्दी सं. 2018 की खाता सं. 20 आराजी सं. 51 रकबा 0.0700 हे. खाता सं. 19 आराजी सं. 37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50 कुल किता 12 कुल रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा है। वादीगण एवं प्रतिवादी गण ... पिता उदा जी की मृत्यु जब वादी सं.1 6–7 साल की थी तभी हो गई थी। स्व. कानाजी ... वंशवृक्ष निम्न प्रकार से है

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:14:17 IST
Reason: SelfAttested

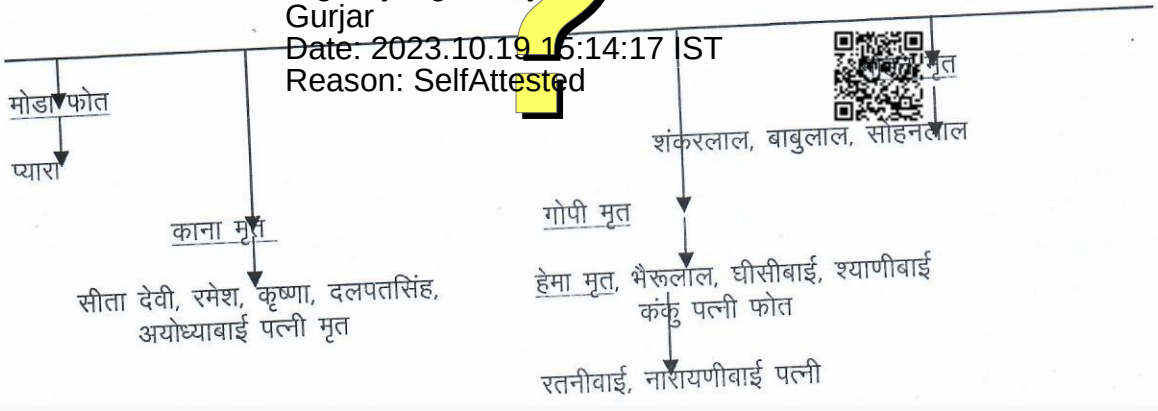

...दी सं. 3 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 से व 8 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी 9 से 11 का ... हिस्सा है। उक्त वर्णित वंश वृक्ष के अनुसार 1/4 हिस्सा स्व. उदाजी के एक लडके कानाजी ...ा है। कानाजी का वंश वृक्ष इस प्रकार से है।

कानाजी फोत

↓

सीतादेवी, रमेश, कृष्णादेवी, दलपतसिंह उर्फ दिलीप सिंह, अयोध्याबाई

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी गण सं. 1 व 2 के पिता कानाजी की मृत्यु के पश्चात् उक्त वर्णित दोनो आराजीयात में निहित स्व. कानाजी की हिस्सा भूमि बतौर उत्तराधिकारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 के नाम होनी चाहिये थी। किन्तु सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा स्व. कानाजी की हिस्सा भूमि को केवल प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी गई जो कानुनन गलत है। वादीगण का यह वादपत्र इस आर्शय के घोषणा के लिए प्रस्तुत है कि उक्त वर्णित सभी आराजीयात में स्व. कानाजी के हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ वादीगण के नाम भी दर्ज किये जाने की घोषणात्मक अज्ञप्ति प्रदान की जावे।

यह कि प्रतिवादी सं. 2 ने चुपके से वादीगण को जानकारी दिये बिना ही स्व. कानाजी की हिस्सा भूमि को अपने नाम दर्ज करवा ली। प्रतिवादी सं. 1 व 2 के साथ वादीगण की सगी बहिनो के नाम भी लगना चाहिये। यही नही प्रतिवादी सं. 2 ने चुपके से वाद वर्णित कृषि आराजीयात का बटवारा भी करा लिया। बाद बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की भूमि को अकेले प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम निम्न आराजीयात हिस्से में आई। आराजी सं. 48, 40, 248/37 कुल कीता 3 कुल रकबा 0.66 हे. भूमि में विभाजन के पश्चात प्रतिवादी सं. 1 व 2 के साथ वादीगण का नाम भी खाते में चाहिये। क्योकि वादीगण प्रतिवादीगण 1 व 2 की सगी बहिने है। इस प्रकार वादीगण का यह घोषणात्मक वाद आराजी सं. 48, 40, 248/37 में वर्णित कृषि भूमि को वादी सं. 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं. 1व 2 के नाम दर्ज किये जाने की घोषणा अज्ञप्ति के लिए प्रस्तुत है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने चुपके से उक्त वर्णित कृषि भूमि को अकेले के नाम दर्ज कराली । लेकिन प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने उक्त अनुचित एवं अवैध प्रविष्टि का लाभ उठाकर उक्त वर्णित कृषि आराजीयात को हस्तान्तरित कर देना चाहते है। दिनांक 01.07.2018 को प्रतिवादी सं. 1 व 2 दोनो ने उक्त आशय की घोषणा सावर्जनिक रूप से की है। इसलिये वादीगण का यह वादपत्र प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा के लिये भी प्रस्तुत है। कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 दोनो वाद वर्णित किसी भी आराजीयात को विक्रय, दान, रहन आदि से हस्तान्तरित नही करे एवं न ही किसी अन्य का कब्जा करावे।

यह कि वादीगण का यह वाद पत्र उक्त कृषि आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज है। उसमें वादीगण का नाम दर्ज हो जाने के बाद वादीगण एवं प्रतिवादी गण के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन भी राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके पर कर दिये जाने के लिए वादीगण का यह वादपत्र विभाजन हेतु प्रस्तुत है।

यह कि यह वाद कारण वादीगण द्वारा दिनांक 21.06.2018 को नामान्तरण सं. 2 व 3 की नकले निकालने पर एवं प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 01.07.2018 को वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति का लाभ उठाकर वादीगण की हिस्से एवं स्वामित्व की भूमि को भी हस्तान्तरित करने की धमकी देने के कारण से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि वादीगण न्यायालय श्रीमान् से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करती है–

क–कि वाद वर्णित ग्राम फतेहपुर प.ह. केरपुरा तह. बेगूं की कृषि आ.सं. 40, 48, 248/37 कुल कीता 3 कुल रकबा 0.6600 हे. कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के साथ वादीगण का नाम भी दर्ज किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:14:17 IST
Reason: SelfAttested

ख–कि खातेनी सं. ... वर्णित आ.सं. 51 ... रकबा 0.0700 हे. कुआं में भी प्रतिवादी सं. 1 व 2 के साथ वादीगण का नाम दर्ज किये जाने ... घोषणात्मक आज्ञप्ति फरमाई जावे।

ग–कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा भी फरमाई जावे कि आराजी सं. 40, 48, 248/37 की कृषि भूमि को किसी प्रकार से किसी को भी हस्तान्तरित नही करे एवं न ही किसी को कब्जा सौपे।

घ–कि वादीगण के पक्ष में घोषणात्मक आज्ञप्ति जारी होने एवं पालना के बाद उक्त आराजी संख्या 40, 48, 248/37 वर्णित भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1व 2 के मध्य विभाजन किये जाने की आज्ञप्ति वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख 1 व 2 के पक्ष में फरमायी जावें।

च–कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादीगण को दिलाये जाने की आज्ञप्ति वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी गण सं. 1 व 2 के विरूद्ध फरमाई जावे।

छ–कि अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के पक्ष में हो वह भी प्रदान किया जावे।

प्रतिवादी गन को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी सं. 2, 3, 4, 5, 6 के सम्मन बाद तामील हुए। किन्तु सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी 2, 3, 4, 5, 6 के विरूद्ध एक [illegible] कार्यवाही के आदेश दिये गये । प्रतिवादी सं. 1, 12, 13 की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 7 से 11 तक का इकबालिया जवाब दावा होने से तनकी कायम नहीं की गई। प्रकरण में वादीगण की ओर से कृष्णा बाई , प्यारा, भैरूलाल, भगवानलाल, रमेशचन्द्र के साक्ष हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत कर कृष्णा बाई के बयान कलमबद्ध कर प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये जो निम्न प्रकार से है– प्रदर्श 1 व 2 नकल जमाबन्दी प्रदर्श 3, 4, 5 व 6 नकल नामान्तरण, प्रदर्श 7 नकल भु प्रबन्ध की जमाबन्दी है। प्रकरण में उक्त दस्तावेज प्रदर्श करवाने के पश्चात उभय पक्ष की बहस सुनी गई वकील वादी ने वाद पत्र अनुसार अपनी बहस प्रस्तुत की और दावा वादीगण के पक्ष में डिग्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस अधिवक्ता वादीगण की ध्यानपूर्व सुन जाने के उपरान्त पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। जमाबंदी मोजा फतहपुर प0ह0 केरपुरा सं0 2073–76 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया जिसमें खाता संख्या 16 में आराजी संख्या 40 व 48 एवं 248/37 किता– 3 कुल रकबा 0.66 हैक्टर भूमि के खातेदार दलपतसिंह उर्फ दिलिपसिंह जो प्रतिवादी संख्या 2 है के नाम दर्ज है, नकल जमाबंदी प्रदर्श–2 खाता संख्या 36 में अंकित आराजी संख्या 51 रकबा 0.0700 हैक्टर भूमि में रमेश दलपत पिता काना मु0 अयोध्याबाई पत्नि काना एवं अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज अंकित है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 168–I–II प्रदर्श–3 व प्रदर्श– 4 जो कि वर्णित आराजीयात के विभाजन से खोला गया था उसका भी अवलोकन हमारे द्वारा किया गया उक्त नामान्तरण संख्या 2 प्रदर्श– 5 व 6 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया जिसमें खातेदार काना की मृत्यु होने पर उनकी विरासत से उनके पुत्र एवं पत्नि के नाम पर नामान्तरण खोला गया था, जिसमें वादीगण काना की पुत्रियों का नाम अंकित नहीं किया गया है ना ही नामान्तरण पर कोई सजरा काना के परिवार का दर्शाया गया है। विशेष टिप्पणी मे काना के दो ही लडके रमेश व दलपत होने का अंकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि काना की दो पुत्रिया क्रमशः कृष्णा व सीता के नाम का उल्लेख नामान्तरण पर नहीं किया गया है, जो कि न्यायसंगत नहीं है। जबकि मृतक खातेदार के सभी वारिसान का उल्लेख नामान्तरण में अंकित किया जाना होता है। नकल भू–प्रबंध विभाग खतौनी की नकल जो कि प्रदर्श– 7 है का अवलोकन भी हमारे द्वारा किया गया जिसमें मोडा, गोपी ,काना मोहन पिता उदा फोत दरोगा हिस्सा बराबर सहखातेदार दर्ज अंकित है। प्रस्तुत सभी दस्तावेज एवं बयान वादीगण के अवलोकन से पाया कि वाद वर्णित भूमि जो कि वादीगण के पिता की भूमि है जिसमें पिता की मृत्यु के पश्चात उनके सभी वारिसान का नाम राजस्व रेकार्ड में बराबर हक से दर्ज किया जाना चाहिए था, किन्तु विरासत के नामान्तरण को खोलते वक्त काना की दो पुत्रियां वादीयान का नाम वर्णित आराजीयात में दर्ज नहीं हुआ है, वर्णित आराजीयात में वादीयान का अब अपना नाम बराबर हिस्से से दर्ज कराने का अधिकार कानूननी रूप से प्राप्त है। साथ ही वादीगण को अपने निहित हिस्से का विभाजन कराने का भी अधिकार प्राप्त है, जिससे यह वाद पत्र वादीगण का स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण अ0धा0 88–53–183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर मौजा फतहपुर प0ह0 कैरपुरा के खाता संख्या 326 में दर्ज आराजी संख्या 51 रकबा 0.0700 हैक्टर भूमि मे एवं खाता संख्या 16 में दर्ज आराजी संख्या 40, 48, 248/37 कुल किता–3 कुल रकबा 0.6600 हैक्टर भूमि में वादीसंख्या 1 व वादी संख्या 2/1–2/2–2/3 का नाम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ 1/4–1/4 हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है, वर्णित आराजीयात में वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4, वादी संख्या 2 के वारिसान 2/1–2/2–2/3 का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/4 रखते हुए आराजीयात का विधिवत अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के [illegible] बाउण्ड्स अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1000/–रूपये कमिश्न[illegible] कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर प्राथ[illegible] बटवारा रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को भिजवाई जावें। सा[illegible] प्रतिवादीगण [illegible] निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्से की आराजीयात में किसी प्रकार से दखलंदाजी न तो स्वयं करें न ही अन्य किसी से करावें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गयां।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)